

समाहरणालय, बक्सर
(स्थापना शाखा)

पत्रांक _____/स्था0

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
बक्सर

सेवा में,

प्रभारी जिला अभियोजन पदाधिकारी,
—सह—
अनुमण्डल अभियोजन पदाधिकारी, बक्सर

बक्सर, दिनांक _____/_____/2018

विषय :-

मुख्य शीर्ष-2014-न्याय प्रशासन-00-लघु शीर्ष-114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल) उपशीर्ष-0004-अभियोजन निदेशालय विपत्र कोड संख्या 22-2014001140004 मांग संख्या-22 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के व्यय हेतु राशि के उपावटन के संबंध में।

प्रसंग :-

प्रधान सचिव, गृह विभाग, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक 929, दिनांक 31.05.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासांगिक पत्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत जिला एवं अनुमण्डल अभियोजन कार्यालयों में पदस्थापित सहायक अभियोजन पदाधिकारियों एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतन एवं जीवन यापन भत्ता आदि के व्ययार्थ कुल 40,52,000/- (चालीस लाख बावन हजार) रुपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है।

अतः उपरोक्त प्राप्त आवंटन मो0 40,52,000/- (चालीस लाख बावन हजार) रुपये को संलग्न विवरणी के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ आपको उपावटित किया जाता है :-

1. उपावटित राशि के व्यय पर कठोर नियंत्रण रखने मितव्ययिता बरतने तथा वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561वि0(2), दिनांक 17.04.1998 की कंडिका 6, 7, 8, 9, 10 एवं 11 का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जाय। इन कंडिकाओं के अनुपालन में आप स्वयं संतुष्ट हो लेंगे कि वेतनादि केवल स्वीकृत पद के विरुद्ध ही की जा रही है। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।
2. किसी भी प्रकार के अनियमित, अवैध, नियम विरुद्ध एवं दोहरी निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। अतएव राशि की निकासी से पूर्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस बात की जांच कर ली जायेगी कि राशि की निकासी वित्त नियमावली तथा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों में उल्लेखित प्रावधान के अनुरूप की जा रही है।

3. वेतनादि मद में आवंटित की जा रही राशि में से यदि वेतन एवं भत्ते मद में किसी इकाई में अधिक या कम राशि हो तो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग के पत्रांक 405, दिनांक 25.05.2006 के आलोक में अलग-अलग उप इकाईयों के लिए राशि कर्णांकित करने के पश्चात् ही विपत्र प्रेषित करेंगे।
4. वर्तमान वित्तीय वर्ष के आवंटन से सेवानिवृत्त हुए एवं आलोच्य वित्तीय वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के बकायें संबंधी दावों का जॉचोपरांत प्राथमिकता के आधार पर भुगतान सुनिश्चित किया जाय।
5. इसकी मांग संख्या 22 एवं विपत्र कोड संख्या 22-2014001140004 है।
6. कोषागार में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष / उप शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर इकाईयों का कोड विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय, ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
8. बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2006 के आलोक में प्रत्येक तिमाही की व्यय की सूचना वित्त विभाग को यथा समय उपलब्ध कराने हेतु सलग्न प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ प्रत्येक तिमाही के अन्त में निश्चित रूप से विशेष दूत से उपलब्ध करा दिया जाय।
9. व्यय विवरणी प्रत्येक माह के 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन,


६०

जिला पदाधिकारी,
बक्सर

ज्ञापानक 01-0874 /स्था०,बक्सर,दिनांक 11 / 06 /2018


प्रतिलिपि : वरीय कोषागार पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : डी०आई०ओ०, एन०आई०सी०, बक्सर/आई०टी० मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


जिला पदाधिकारी,
बक्सर

मुख्य शीर्ष-2014-न्याय प्रशासन, उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष 114-विधि सलाहकार और पशामर्शदाता (काउंसिल) उप शीर्ष 0004 अभियोजन निदेशालय (मांग संख्या 22 एवं विपत्र कोड संख्या 22-2014001140004) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए उपावंटन।

क्र०	इकाई का नाम	निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी		
		प्रभारी जिला अभियोजन पदाधिकारी, बक्सर		
		पूर्व में उपावंटित राशि	वर्तमान में उपावंटित राशि	कुल
1	2	3	4	5
1	वेतन	0.00	3390000.00	3390000.00
2	जी०या०भत्ता	0.00	305000.00	305000.00
3	मकान भत्ता	0.00	295000.00	295000.00
4	चिकित्सा भत्ता	0.00	62000.00	62000.00
5	अन्य भत्ता	0.00	0.00	0.00
	योग	0.00	4052000.00	4052000.00
6	कार्यालय व्यय	0.00	0.00	0.00
7	दूरभाष	0.00	0.00	0.00
8	विद्युत प्रभार	0.00	0.00	0.00
9	वस्ती/पोशाक	0.00	0.00	0.00
10	संविदा सेवाएँ	0.00	0.00	0.00
	कुल योग	0.00	4052000.00	4052000.00


जिला पदाधिकारी,
बक्सर